राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक एफ 61(272) SSAAT/दिशा–निर्देश/2023-24/3162 दिनांक 11/08/2023

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक
समस्त।

विषयः– सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने बाबत जारी दिशा–निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा–17, धारा 23(3) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार राज्य की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के प्रावधानों, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता एवं जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत करवाये गए/ करवाए जा रहे लेखों का छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रावधान है।

सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त जारी सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने बाबत निम्नानुसार दिशा –निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. कार्यकारी एजेन्सी, लाइन विभाग एवं भुगतान एजेन्सी (ग्राम पंचायत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि) के कार्मिक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षो एवं आपत्तियों तथा ग्राम सभा के निर्णयों के क्रम में 30 दिन में सुधारात्मक कारवाई (Corrective Action) प्रारम्भ करेंगे।
2. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में ऐसे प्रकरण सामने आते है जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रावधानों के विरूद्ध हैं तो ऐसे निष्कर्षो को आपत्ति निवारण (Grievance Redressal) के अन्तर्गत स्वतः शिकायत के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह Grievance Redressal के अन्तर्गत स्वतः शिकायत के रूप में दर्ज की गई शिकायतों को सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा ग्राम सभा में पढा जाएगा।
3. सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षो, विवादों एवं आक्षेपों पर 7 दिवस में जांच, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा करवाई जाएगी।
4. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना (Action Taken Report/Compliance) एक माह की अवधि में प्रस्तुत की जाएगी।
5. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सात दिवस में नरेगा वेबसाइट पर अपलोड कराई जावें।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण के प्रत्येक निष्कर्ष (गबन, फर्जी भुगतान, अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं) के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक / लोकसेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार राशि वसूली, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना, भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी.एक्ट) एवं अन्य प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।
7. यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्राथमिक लाभार्थियों, जनता अथवा ग्रामवासियों ने एतराज उठाए हैं और सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया के दौरान निर्धारित प्रकिया का उल्लंघन या भ्रष्टाचार होना प्रमाणित हुआ है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इन्हे राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए तकनीकी एवं लेखाकर्मी को सम्मिलित कर जाँच दल का गठन किया जाएगा एवं कार्यस्थल पर भेजकर विस्तृत जॉच करवाई जाएगी।
8. सामाजिक अंकेक्षण कार्य बांधित करने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।
9. जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगें कि सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।
10. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर गबन की गई राशि या अनुचित उपयोग की गई रकम की वसूली के लिए सभी उपाय करेगें तथा अंकेक्षण रिपोर्ट में गबन एवं अनुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी माने गए कार्मिकों/ लोकसेवकों को सुनवाई का उचित एवं युक्तियुक्त अवसर देकर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करेगें और इस प्रकार वसूल की गई राशि के लिए रसीद जारी करेगें।
11. जिला कार्यक्रम समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया के दौरान बतायी गयी अनियमित भुगतान की राशि एवं उसके विरूद्व वसूल की गई राशि के लिए पृथक पंजिका का संधारण करेगें।

12. मजदूरी के दुर्विनियोग पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ऐसी राशि की वसूली के सात दिनों के भीतर नरेगा मजदूर को उसकी देय मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित करेगें।
13. राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षो पर अनुवर्ती कर्रवाई (Follow-up Action) के उत्तरदायी है।
14. राज्य रोजगार गांरटी परिषद् की गई कार्रवाई को मॉनीटर करेगी।
15. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों के लिए जिला कार्यक्रम समन्व्यक शिकायतों का निपटारा करेगें। सभी शिकायतों पर अधिनियम में तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
16. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई का भी इंतजाम किया जाएगा।
17. राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत संचालित कार्यो के लिए किसी भी ग्राम पंचायत, लाइन विभाग एवं अन्य कियान्वयन अभिकरण की कमी की भी विशेष जांच कराई जा सकती है (राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100)।
18. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में निष्कर्षो के आधार पर जिला कार्यकम्र समन्यवक द्वारा अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवको को सुनवाई का उचित एवं युक्तियुक्त अवसर देकर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और इन्हे राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए हुए तकनीकी एवं लेखाकर्मी को सम्मिलित कर जॉच दल का गठन किया जाएगा एवं कार्यस्थल पर भेजकर विस्तृत जॉच करवाई जाएगी।
19. जांच दल को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ठहरने की व्यवस्था की जावेगी।
20. जांच दल को सामाजिक अंकेक्षण की अवधि में एवं ग्राम सभा आयोजित दिवस को सुरक्षा की उचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
21. सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सामाजिक अंकेक्षण अवधि में स्वीकृत कार्यो की पूर्ण विवरण सहित वॉल पेन्टिंग का (Wall Painting) किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
22. ग्राम सभा आयोजित वास्ते ग्राम सभा प्रभारी की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
23. ग्राम सभा आयोजित करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रचार – प्रसार तथा विडियोग्राफी की जावें।

भवदीय

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

कमांक एफ 61(272) SSAAT/दिशा–निर्देश/2023-24/ 3163-67 दिनांक 11/08/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त।
3. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी समस्त।
4. लेखाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण ।
5. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी (सा.अंके)
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)